सं0 19011/2/2007-प्रशा0
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

....

नई दिल्ली, 16.5.2007

सेवा में,

MIC
Dept CAPC

विषयः इस विभाग में राज्य मंत्री तथा सचिव के कार्यालयों में लगे दो केटीएस (KTS) सिस्टम्स (मॉडल नं0 Hicom 100 E with 04 P&T तथा Hipath 3350 वर्ष 2007-08) के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाना) ।

महोदय,

मुझे इस विभाग में राज्य मंत्री तथा सचिव के कार्यालयों में लगे दो केटीएस (KTS) सिस्टम्स (मॉडल नं0 Hicom 100 E with 04 P&T तथा Hipath 3350 वर्ष 2007-08 के रख-रखाव के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कराने का निदेश हुआ है ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि सीलबंद कोटेशन जिसमें विभागों से संतोषजनक प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, जहां पर आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी के साथ भेजें । सीलबंद लिफाफे में कोटेशन अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास कमरा नं0 207, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में **28.5.2007 को 3 बजे** तक पहुंच जाना चाहिए तथा कोटेशनों को कमरा नं0 **231 'ए'**, शास्त्री भवन में उसी दिन 3.30 बजे खोला जाएगा ।

3. कोटेशन दाखिल करने को इच्छुक फर्म को मेसर्स सिमेन्स का अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर होना चाहिए । कोटेशन के साथ मेसर्स सिमेन्स द्वारा जारी किया गया ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट संलग्न किया जाना चाहिए ।

4. फर्म के पास कम से कम पांच सरकारी दफ्तरों/पीएसयूज में सिमेन्स KTS/EPABX सिस्टम के वार्षिक रख-रखाव ठेके का अनुभव होना चाहिए । यूजर विभागों द्वारा जारी किए समर्थक दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए ।

5. इच्छुक फर्म को आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत होना चाहिए । इसके आवश्यक प्रमाण संलग्न किए जा सकते हैं ।

6. सफल टेंडर भेजने वाले को काम देने के लिए निबंधन तथा शर्तें निम्नलिखित हैं-

क) यदि कार्य कार्यालय में करना संभव नहीं हो, उसी स्थिति में कार्यालय से बाहर करने के लिए अनुमति दी जाएगी पर इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा ।

ख) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

..........2/-

ग) शिकायतों को देखने के लिए आप एक प्रशिक्षित मैकेनिक को विभाग में तैनात करेंगे । मैकेनिक सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समय में मंत्रालय में उपस्थित रहेगा ।

घ) यदि आपका काम संतोषजनक नहीं पाया गया, तो इस ठेके को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा ।

ङ) टेंडर स्वीकार होने पर सफल टेंडर भेजने वाले को रु. 2000/- (दो हजार रुपए) की धरोहर राशि डी डी ओ, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा करानी होंगी । धरोहर राशि की वापसी ठेका समाप्त होने पर की जाएगी । ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर मंत्रालय के पास जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार है ।

4. इस ठेके को विभाग द्वारा किसी भी समय बिना किसी आधार पर रद्द किया जा सकता है । इस संबंध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार उसे मानने के लिए बाध्य होगा । विभाग अध्यक्ष के पास बिना किसी आधार पर सभी कोटेशनों को अस्वीकार करने का अधिकार है ।

भवदीय,

(वि.के. सेखड़ी)
अवर सचिव, भारत सरकार
3387920